भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 548

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

29 आषाढ़, 1944 (शक)

अवैध वेबसाइट

548. श्री महाबली सिंह :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रिंट मीडिया अनुभाग में उल्लेखित कुछ अवैध वेबसाइटें आधार से संबंधित सेवाएं प्रदान करने का वादा कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाले ऐसे नकली आधार कार्डों की प्रमाणिकता की जांच करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और **(ख)**: जी,हां। यह रिपोर्ट किया गया है कि कुछ वेबसाइटें भारत के निवासियों को अनधिकृत रूप से आधार से संबंधित सेवाएं प्रदान कर रही हैं जैसे ऑनलाइन आधार पत्र डाउनलोड करना, आधार जनरेशन/अपडेशन की स्थिति उपलब्ध कराना, आधार पत्र प्रिंट करना, पीवीसी कार्ड आदि। इस तरह की गतिविधियां देखे जाने पर, यूआईडीएआई ने संबंधित वेबसाइट मालिकों को नोटिस दिया कि वे उन्हें किसी भी तरह से ऐसी अनधिकृत सेवाएं प्रदान करने से रोकें और होस्टिंग सेवा प्रदाताओं को तत्काल प्रभाव से दोषपूर्ण वेबसाइट की को ब्लॉक करने के लिए कहें। जनवरी 2022 से ऐसी सेवा देने वाली 11 अवैध वेबसाइटों को बंद कर दिया गया है।

(ग) और **(घ)** : इन वेबसाइटों के पास निवासी को नामांकित करने और बायोमेट्रिक जानकारी को संशोधित करने या मौजूदा आधार में निवासी के मोबाइल नंबर को जोड़ने का अधिकार नहीं है। अतः प्रामाणिकता का प्रश्न ही नहीं उठता।

*****